क्रम-संख्या—307

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 17 दिसम्बर, 2003

अग्रहायण 26, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1839/सात-वि-1-1(क) 22/2003

लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2003

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2003]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा।

(2) यह 11 जुलाई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द ''पांच रुपये'' के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

''(5) जहां किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है या उसे दाखिल नहीं किया जाता है, वहां न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रतर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा।''

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण-निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याण की प्रोन्नति के निमित्त एक निधि की स्थापना करने और उसके प्रवर्तन की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974) अधिनियमित किया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 9 में वकालतनामा पर पाँच रुपये के मूल्य का कल्याणकारी स्टाम्प लगाये जाने की व्यवस्था की गयी थी। कल्याणकारी स्टाम्प से होने वाली आय अधिवक्ताओं के आश्रितों को सामूहिक बीमा योजना के भुगतान, कल्याणकारी स्टाम्पों के मुद्रण और अन्य भुगतानों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। अतएव, उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद् के प्रस्ताव पर यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त कल्याणकारी स्टाम्प के मूल्य को पाँच रुपये से बढ़ा कर दस रुपये कर दिया जाये तथा यह व्यवस्था कर दी जाय कि जहाँ किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा उक्त कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है या उसे दाखिल नहीं किया जाता है, वहाँ न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रतर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा।

उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2003) दिनांक 11 जुलाई, 2003 को प्रख्यापित किया गया किन्तु विधान मण्डल के विगत सत्र में उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कराया जा सका। चूंकि उक्त अध्यादेश का प्रवर्तन दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 के पश्चात् समाप्त होने वाला था अतः यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अध्यादेश को दूसरे अध्यादेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश संख्या 24 सन् 2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 1839(2)/VII-V-1-1(KA)22-2003

Dated Lucknow, December 17, 2003

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 16, 2003 :–

THE UTTAR PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 2003

(U. P. ACT NO. 9 OF 2003)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 11, 2003.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 6 of 1974

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974 hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) in sub-section (1) *for* the words "five rupees" the words "ten rupees" shall be *substituted.*

(b) after sub-section (4) the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(5) where in any case the Welfare Stamp referred to in sub-section (1) is not affixed on the Vakalatnama or is not filed by any Advocate the Court shall not permit such Advocate for further proceeding in that case."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) (Second) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2003 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974 (U. P. Act no. 6 of 1974) has been enacted to provide for the establishment and operation of a fund for the promotion of Welfare of Advocates in Uttar Pradesh. With a view to making the financial position sound of the Advocates Welfare Fund affixing of Welfare Stamp of the value of five rupees on a Vakalatnama was provided in section 9 of the said Act. The income arising from Welfare Stamps was inadequate to meet the expenses on the payment of the Group Insurance Scheme to the dependents of the Advocates, printing of Welfare Stamps and on other payments.

It was, therefore decided on the proposal of Bar Council of Uttar Pradesh to amend the said Act to increase the value of the said Welfare Stamp from five rupees to ten rupees and to provide that where in any case the said Welfare Stamp is not affixed on the Vakalatnama or is not filed by any Advocate the Court shall not permit such Advocate for further proceeding in that case.

The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2003 (U.P. Ordinance no. 18 of 2003) was promulgated on July 11, 2003 to implement the aforesaid decision but the provisions of the said Ordinance could not be replaced by an Act of the Legislature. Since the enforcement of the said Ordinance was to expire after October 13, 2003, it was decided to replace the said Ordinance by another Ordinance.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative Action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) (Second) Ordinance, 2003 (U. P. Ordinance no.24 of 2003) was promulgated by the Governor on October 13, 2003.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance no. 24 of 2003.

By order.

R. B. RAO,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 754 राजपत्र (हि०)–(1806)–2003–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 210 सा० विधा०–(1807)–2003–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।